UPAU010030282026

न्यायालय बाल न्यायालय, जनपद औरैया।

पीठासीन अधिकारी– (श्री अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र), (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक अपील सं0–49 / 2026

बाल अपचारी बालक ''X'' द्वारा संरक्षक / पिता शिव नारायण पत्रु झरगद लाल निवासी ग्राम टडवा विकू थाना अजीतमल, जिला औरैया, उ0प्र0।

–अपीलार्थी–

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

–प्रत्यर्थीगण / विपक्षीगण–

मुकदमा अपराध सं0–145 / 2026
धारा–109,352,333,191(2),115(2),118(1) बीएनएस
थाना अजीतमल जिला औरैया।

निर्णय

01. प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–49 / 2026 बाल अपचारी बालक ''X'' द्वारा संरक्षक पिता शिव नारायण बनाम उ0प्र0 राज्य आदि, मुकदमा अपराध सं0–145 / 2026, अन्तर्गत धारा–109 352, 333, 191(2), 115(2), 118(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना अजीतमल, जिला औरैया में प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, औरैया द्वारा पारित आदेश दिनांकित–19.05.2026 के विरूद्ध बाल अपचारी बालक ''X'' की ओर से उसके संरक्षक पिता द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसमें विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, औरैया द्वारा किशोर अपचारी का जमानत प्रार्थना पत्र सं0 27 / 2026 खारिज कर दिया। इसी से क्षुब्ध होकर यह दाण्डिक अपील किशोर न्याय अधिनियम की धारा–101 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा शिव कुमार ने थाना अजीतमल, जनपद औरैया में तहरीर देकर दिनांक 11.04.2026 को इस आशय की दर्ज करायी कि प्रार्थी खेतों से गेंहूं की कटाई करके अपने घर आया और खाना आकर लेटा हुआ था। गांव के ही जितेन्द्र पुत्र भारत सिंह, किशोर अपचारी पुत्र शिवनारायण, लिटिल पुत्र लक्ष्मी नारायण व 4 व्यक्ति अज्ञात लाठी डण्डो चाकू, कुल्हाडी लेकर प्रार्थी के घर के अन्दर माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए घुस आये तो प्रार्थी जोर जोर से चिल्लाने लगा। चीख पुकार सुनकर अपरवल सिंह पुत्र बालकराम, गब्बर सिंह पुत्र बालकराम, शिवसागर पुत्र रामबहादुर बचाने आयो तो उपरोक्त विपक्षीगणों ने जान से मारने की नियत से अपरबल सिंह पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दिया। जिससे अपरवल सिंह को गम्भीर चोट आयी है प्रार्थी को व गब्बर सिंह को लाठी डण्डों से बुरी तरह से मारा, जिससे सभी लोगों के शरीर पर गम्भीर चोटें आयीं है। प्रार्थीगण की डाक्टरी कराकर मुकदमा दर्ज कराये जाने की कृपा करें। विपक्षीगण आपराधिक

Digitally signed by AKHILESWAR PRASAD MISHRA
Date: 2026.08.25 16:45:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किस्म के व्यक्ति हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज है। घटना दिनांक 10.4.2026 को समय करीब 7.30 बजे शाम की है।

03. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील में संक्षेप में कथन किए गये है कि विद्वान अवर न्यायालय का आदेश व निर्णय खिलाफ वाक्यात व खिलाफ कानून है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त घटना होने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है क्योंकि घर आये खाना खाया लेट गये, लडके आये मारपीट करने लगे, जिससे कोई घटना का कारण स्पष्ट नहीं होता है और बिना कारण के कोई घटना कारित नहीं होती है। जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल्हाडी से वार किया किसने मारा, तीन लडके के नाम लिखाये गये है, कुल्हाडी से किसने वार किया यह भी स्पष्ट नहीं है, जिससे घटना बिल्कुल झूठी है, क्योंकि कुल्हाडी का वार जब लकडी पर होता है तो लकडी फट जाती है यहां तो आदमी पर वार करना बताया गया है, जो कि पूर्णतः झूठ है और प्रार्थी निर्दोष है। बिना कारण के कोई घटना कारित नहीं होती है, कारण का स्पष्ट न होना घटना को संदेहास्पद बना देता है। इसके बाद नामित व्यक्तियों में किसके द्वारा कुल्हाडी से वार किया गया, यह नहीं बताया गया है जिससे पूरी घटना को बदले की कार्यवाही में परिवर्तित कर देता है व जिस व्यक्ति के घर की घटना है उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है ही नहीं है। अपचारी की जन्मतिथि 12.04.2011 है, वह घटना के समय 14 वर्ष 11 माह 28 दिन का था। प्रार्थी के द्वारा कक्षा 9 में दाखिला लिया गया है। अपचारी दिनांक 08.05.2026 से बाल संप्रेक्षण गृह में निरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय कबूतर उर्फ इन्द्रसेन बनाम उ०प्र० राज्य में कहा गया है कि मामले की गंभीरता के बजाय यह देखना चाहिए कि अपचारी आपराधि प्रवृत्ति के लोगों के संसर्ग में आ जाये उसे निर्मुक्त किये जाने पर उसका नैतिक, भौतिक व मनोवैज्ञानिक खतरे में पड जाने अथवा न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा इससे यह प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय भी एक अपचारी को ज्यादा दिन तक संप्रेक्षण गृह में निरूद्ध नहीं रखने का पक्षधर है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने अंकुर बनाम उ0प्र0 राज्य 2018 में कहा है कि अपराध की गंभीरता किशोर अचारी के सम्बन्ध में तब तक निर्णायक विन्दु नहीं है जब तक अपचारी का वाद धारा 21(1) में उल्लिखित अपवादों में न आता हो, उक्त धारा में उल्लिखित न्याय का उद्देश्य को विफल कर देगा। इससे भी स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय अपचारी को बाल संप्रेक्षण गृह में रखने का पक्षधर नहीं है। किशोर अधिनियम की धारा 32 के तहत कहा गया है कि किशोर को जमानत पर निर्मुक्त किये जाने हेतु अपराध की गंभीरता जमानत के लिए विधिक मानक नहीं है। अपचारी के साथ एक अन्य अभियुक्त लिटिल उर्फ बौद्धप्रिय की जमानत माननीय जनपद न्यायाधीश औरैया द्वारा दिनांक 22.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है, जिसकी प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अवर न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड औरैया द्वारा पारित आदेश निरस्त कर अपीलकर्ता के पुत्र को प्रतिभू पर रिहा किए जाने का आदेश पारित

किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

04. मैंने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी/विपक्षी उ0प्र0 राज्य आदि की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) के तर्कों को सविस्तार सुना तथा तथा विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.05.2026 व पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

05. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के पुत्र को उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अपीलकर्ती का पुत्र के पास से घटना से सम्बन्धित कोई वस्तु बरामद हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार लड़ाई किसके साथ हुई, स्पष्ट नहीं है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना होने का कोई कारण अंकित किया गया है। कुल्हाड़ी से किसने वार किया, यह भी स्पष्ट नहीं है। घटना के समय अपीलार्थी के किशोर अपचारी के पुत्र की उम्र 14 वर्ष 11 माह 28 दिन थी तथा घटना के समय वह नाबालिग था। अपीलकर्ता का किशोर अपचारी पुत्र दिनांक 08.05.2026 से राजकीय सम्प्रेषण गृह फतेहगढ़ फर्रूखाबाद में निरूद्ध है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अनुसार जमानत के लिए किशोर अपचारी को उन्हीं परिस्थितियों मना किया जा सकता है, जब यह स्पष्ट हो कि किशोर अपचारी जमानत पर निर्मुक्त होने पर ज्ञात अपराधियों के संसर्ग में आ जायेगा, जिससे उसका नैतिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक खतरे के प्रति अनावृत्त हो जायेगा अथवा ऐसे किशोर अपचारी की निर्मुक्ति के कारण न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। उक्त तीन कारणों के अथवा किसी अन्य कारण के किशोर अपचारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश विधि अनुसार न होने कारण अपास्त किए जाने योग्य है। किशोर अपचारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरी ओर मामले के वयस्क सहअभियुक्तगण लिटिल उर्फ बौद्धप्रिय व जितेन्द्र कुमार की जमानत माननीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा दिनांक 22.05.2026 व 14.07.2026 को स्वीकृत की जा चुकी हैं। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.05.2026 अपास्त किए जाने योग्य है तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दण्ड अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

06. इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत जिला परिवीक्षा अधिकारी औरैया की आख्या की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया। उक्त आख्या में यह कथन किया गया है कि अपीलकतर्का के किशोर पुत्र का भावनात्मक कारण सामान्य है। किशोर अपचारी की वुद्धिमत्ता सामान्य है, मानसिक स्थिति सामान्य है। किशोर अपचारी की आर्थिक व सामाजिक स्थिति मध्यम है तथा सामाजिक स्थिति सामान्य है। किशोर अपचारी ने कक्षा आठ तक शिक्षा ग्रहण की है। आगे की शिक्षा ग्रहण करने की अभिलाषा है। किशोर आठ भाई बहन हैं, पिता कृषि कार्य करते हैं, माता गृहणी है। किशोर

अपचारी के सम्बन्ध में पास पड़ोस से सामान्य प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। किशोर की आयु व भविष्य को ध्यान में रखते हुए किशोर अपचारी को उचित पारिवारिक माहौल में रखने, उचित मार्गदर्शन दिए जाने के साथ शिक्षा में भी निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता दर्शित होती है। यह भी तर्क दिया है कि किशोर अपचारी इसी अपराध में निरूद्ध है उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जिला परिवीक्षा अधिकारी की उपरोक्त आख्या के विपरीत अपने आदेश दिनांकित 19.05.2026 में यह कारण उल्लिखित किया है कि बोर्ड के मत में यदि बाल अपचारी को जमानत पर छोड़ा गया तो वह विकृत आपराधिक मनोवृत्ति के कारण नैतिक, मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा एवं उसका नैतिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पतन होने की सम्भावना है, जिससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा, जिस सम्बन्ध में पत्रावली पर ऐसी कोई साम्रगी उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश में उक्त कारकों का उल्लेख किया गया है, जो कि न्यायालय की कल्पना पर आधारित है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दण्ड अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

07. वादी मुकदमा पर नोटिस तामील है तथा वह उपस्थित नहीं है। बाल कल्याण समिति की आख्या संलग्न है।

08. इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बाल अपचारी द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर बल्वा कारित करने, वादी मुकदमा के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए वादी को बचाने आये अपरबल/मजरूब को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार कर गम्भीर रूप से घायल किया गया है तथा वादी मुकदमा व गब्बर सिंह को लाठी डण्डों से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल किया गया है। मामले का किशोर अपचारी जमानत पर निर्मुक्त होने पर उसके पुनः आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों के साथ उठने बैठने की सम्भावना है, जिससे वह आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ सम्मिलित हो जायेगा, जिससे उसके शारीरिक एवं नैतिक शोषण होने की भी सम्भावना है तथा जिससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अपीलकर्ती द्वारा प्रस्तुत दण्ड अपील खारिज किए जाने योग्य है।

<u>प्रस्तुत दण्ड अपील में निर्धारणीय बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि</u>–

क्या पत्रावली पर इस आशय की सामग्री उपलब्ध थी कि बाल अपचारी बालक ''X'' को जमानत पर छोड़ा गया तो वह विकृत आपराधिक मनोवृत्ति के कारण उसकी नैतिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे के प्रति अनावृत्त हो जायेगा, जिससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा?

09. जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय जिला परिवीक्षा अधिकारी औरैया की

आख्या आहूत की गयी है। जिला परिवीक्षा अधिकारी औरैया द्वारा पत्रांक सं0 190 दिनांकित 14.05.2026 के अनुसार प्रेषित आख्या में उल्लेखित किया गया है कि किशोर अपचारी को मुकदमा अपराध सं0 145/2026 अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा–109 352, 333, 191(2), 115(2), 118(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना अजीतमल, जिला औरैया के मामले में नामजद किया गया है। किशोर अपचारी की मानसिक स्थिति सामान्य है। बुद्धिमत्ता सामान्य है। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में पड़ोसियों के अनुसार किशोर अपचारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया होने का कथन अपनी रिपोर्ट में किया है।

10. धारा–12 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत किशोर को जमानत पर निर्मुक्त किए जाने हेतु अपराध की गम्भीरता जमानत के लिए विधिक मानक नहीं है, किन्तु किशोर अपचारी को यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पत्रावली की परिस्थितियों के आधार पर यह भी विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण होगा कि यदि उसे जमानत पर निर्मुक्त किया गया तो वह किसी संगठित व्यक्तियों के गिरोह में सम्मिलित हो जायेगा अथवा स्वंय को नैतिक, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रछन्न खतरे में डालेगा या उसे जमानत पर छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा, के आधार पर जमानत पर निर्मुक्त किए जाने से इंकार किया जा सकता है।

11. विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड औरैया द्वारा किशोर अपचारी की जमानत निरस्त की गयी है कि यदि बाल अपचारी को जमानत पर छोड़ा गया तो वह विकृत आपराधिक मनोवृत्ति के कारण नैतिक, मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा एवं उसका नैतिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पतन होने की सम्भावना है, जिससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। जिला परिवीक्षा अधिकारी औरैया द्वारा प्रेषित आख्या में किशोर अपचारी की मानसिक स्थिति सामान्य होने तथा बुद्धिमत्ता सामान्य होने का कथन किया तथा अपनी आख्या में पड़ोसियों के अनुसार किशोर अपचारी का चाल चलन व व्यवहार सामान्य होने का कथन भी किया है।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में किशोर अपचारी पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर बल्वा कारित करने, वादी मुकदमा के घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए वादी को बचाने आये अपरबल को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार करने तथा वादी मुकदमा व गब्बर सिंह को लाठी डण्डों से मारपीट करने का आरोप है। पत्रावली पर आहत सागर की चिकित्सीय परीक्षण आख्या उपलब्ध है, जिसमें चिकित्सक द्वारा आहत को आयी चोटों को साधारण प्रकृति की चोट आना बताया गया है। पत्रावली पर आहत/वादी मुकदमा शिवकुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा उसको आयी चोट नंबर 2 को साधारण प्रकृति की चोट एवं चोट नंबर 1 को गंभीर प्रकृति की चोट होना बताया गया है, लेकिन उक्त चोट को जीवन के लिए प्राणघातक होना नहीं बताया गया है। इसी प्रका पत्रावली पर मजरूब गब्बर सिंह की पूरक

चिकित्सीय परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा मजरूब को आयी चोटों को साधारण प्रकृति की एवं सतही और सूजन की चोट होना बताया गया है। प्रकरण के अन्य मजरूब अपरबल सिंह की पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या में चिकित्सक द्वारा मजरूब को आयी चोटों को गंभीर प्रकृति की चोट आना बताया गया है, परन्तु जीवन के लिए प्राणघातक होना नहीं बताया गया है। किशोर अपचारी दिनांक 08.05.2026 से राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह फतेहगढ़ में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दूसरी ओर मामले के वयस्क सहअभियुक्तगण लिटिल उर्फ बौद्धप्रिय व जितेन्द्र कुमार की जमानत माननीय जनपद न्यायाधीश, औरैया द्वारा दिनांक 22.05.2026 व 14.07.2026 को स्वीकृत की जा चुकी हैं।

13. धारा–12 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड औरैया द्वारा यह समाधान नहीं किया गया है कि किशोर अपचारी के रिहा होने पर वह ऐसी संगति में पड़ जायेगा कि किशोर को जमानत पर निर्मुक्त किए जाने हेतु अपराध की गम्भीरता जमानत के लिए विधिक मानक नहीं है, किन्तु किशोर अपचारी को यदि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं पत्रावली की परिस्थितियों के आधार पर यह भी विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण होगा कि यदि उसे जमानत निर्मुक्त किया गया तो वह किसी संगठित व्यक्तियों के गिरोह में सम्मिलित हो जायेगा अथवा स्वंय को नैतिक, शारीरिक या मानसिक रूप से प्रछन्न खतरे में डालेगा या उसे जमानत पर छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा, के आधार पर जमानत पर निर्मुक्त किए जाने से इंकार किया जा सकता है।

14. विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिया गया अभिमत कि यदि बाल अपचारी को जमानत पर छोड़ा गया तो वह विकृत आपराधिक मनोवृत्ति के कारण नैतिक, मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा एवं उसका नैतिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक पतन होने की सम्भावना है, जिससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा, तथ्यात्मक विश्लेषण व साक्ष्य पर आधारित नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा इस स्तर तक किशोर अपचारी की जन्मतिथि या उसके किशोर होने को लेकर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो प्रथम दृष्टया उसके किशोर न होने की ओर इंगित करता हो।

15. इस न्यायालय के अभिमत में किशोर अपचारी के न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के समय उसकी सुरक्षा तथा भविष्य के नियोजनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किशोर न्याय बोर्ड का यह निष्कर्ष कि यदि किशोर अपचारी को जमानत पर निर्मुक्त किया गया तो वह विकृत आपराधिक मनोवृत्ति के कारण नैतिक, मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जायेगा तथा उसका नैतिक एवं शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पतन होने की सम्भावना है, जिससे न्याय का उद्देश्य विफल हो जायेगा। विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड का यह निष्कर्ष काल्पनिक है, क्योंकि इसका कोई तथ्यात्मक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

16. विद्वान किशोर न्याय बोर्ड को आक्षेपित आदेश कल्पनाओं के आधार पर प्रतिकूल अवधारणा कर, किशोर अपचारी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था।

विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र कल्पनाओं एवं अवधारणाओं के आधार पर निरस्त किया गया है, जिसमे वैधानिक त्रुटि है। तदनुसार विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.05.2026 अपास्त किए जाने योग्य है तथा प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

किशोर अपचारी बालक ''X'' के सरंक्षक पिता शिव नारायण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या–49/2026 बालक ''X'' द्वारा सरंक्षक पिता शिव नारायण प्रति उत्तर प्रदेश राज्य आदि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार की जाती है कि–

01. किशोर अपचारी बालक ''X'' पुनः ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

02. किशोर अपचारी बालक ''X'' साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

03. किशोर अपचारी बालक ''X'' पीड़ित के घर के आस पास नहीं जायेगा और न ही पीड़ित या उसके परिवारीजन को किसी प्रकार से सम्पर्क करेगा, न ही प्रभावित करेगा।

विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.05.2026 अपास्त किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड को आदेशित किया जाता है कि किशोर अपचारी बालक ''X'' के विधिक/नैसर्गिक पिता शिव नारायण द्वारा मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू निष्पादित किए जाने पर तथा किशोर न्याय बोर्ड, औरैया की सन्तुष्टि पर अपचारी किशोर बालक ''X'' को जमानत पर निर्मुक्त किया जाये तथा अपचारी किशोर बालक ''X'' को उसके संरक्षक की सुपुर्दगी में दिया जाए।

पत्रावली अविलम्ब किशोर न्याय बोर्ड प्रेषित की जाये।

<u>दिनांक–25.08.2026</u>

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र)
बाल न्यायालय,
जनपद औरैया।
JO Code No:UP 6287

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

<u>दिनांक–25.08.2026</u>

(अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र)
बाल न्यायालय,
जनपद औरैया।
JO Code No:UP 6287